रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग I—खण्ड 2
PART 1—Section 2
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 23] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, दिसम्बर 6, 2018/अग्रहायण 15, 1940
No. 23] NEW DELHI THRUSDAY, DECEMBER 6, 2018/AGRAHAYANA 15, 1940

कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय

(राष्ट्रीय कौशल विकास एजेंसी)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 27 नवम्बर, 2018

फा.सं. 4300/02/2013-एनएसडीए.—वित्त मंत्रालय (आर्थिक कार्य विभाग), भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय कौशल अर्हता ढांचा (एनएसक्यूएफ) पर दिनांक 27 दिसंबर, 2013 की अधिसूचना संख्या 8/6/2013-निवेश के माध्यम से राष्ट्रीय कौशल अर्हता समिति (एनएसक्युसी) को प्रदत्त शक्ति के अनुसरण में तथा इसके कार्यालय आदेश के माध्यम से गठित आकलन तथा प्रमाणन निकायों (सीएसीबी) की सिफारिशों के आधार पर कौशल विश्वविद्यालयों को क्षमता और सक्षमता प्रदान करने के उद्देश्य से 25 अक्तूबर, 2018 के कार्यालय आदेश संख्या 43001/02/2013/एनएसडीए/III(भाग 2)/953 के द्वारा सेंचुरियन युनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी एंड मेनेजमेंट (सीयूटीएम) गजपति, ओडिशा को इस अधिसूचना के जारी होने की तारीख से पूर्व शिक्षण मान्यता (आरपीएल) के साथ-साथ प्रशिक्षक तथा मूल्यांकनकर्ता प्रमाण पत्र पाठ्यक्रम सहित एनएसक्यूएफ के अनुरूप सभी प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों का आकलन करने और प्रमाण पत्र प्रदान करने के लिए अवार्डिंग निकाय के रूप में अनुमोदित और मान्यता प्रदान की जाती है। आकलन तथा प्रमाण पत्र एनएसक्यूएफ के अनुरूप अनुमोदित मानदंड तथा मानकों के आधार पर दिए जाएंगे जैसे कि संबंधित एनएसक्यूएफ के अनुरूप स्कीम तथा स्कीमों के लिए समस्त भारत में दिए जाते हैं।

2. सीयूटीएम द्वारा नए परिसर केंद्र (गैर-फ्रैंचाइजी) खोले जाने के लिए संबंधित सक्षम प्राधिकरण को सूचित करना आवश्यक होगा तथा कोई फ्रैंचाइजी केंद्र खोलने के मामले में पूर्व अनुमोदन अपेक्षित होगा।

सुनीता संघी, महानिदेशक
राष्ट्रीय कौशल विकास एजेंसी तथा
सदस्य सचिव, एनएसक्युसी

MINISTRY OF SKILL DEVELOPMENT AND ENTREPRENEURSHIP

(NATIONAL SKILL DEVELOPMENT AGENCY)

NOTIFICATION

New Delhi, the 27th November, 2018

No. F.4300/02/2013-NSDA.—In pursuance of the power conferred upon the National Skill Qualification Committee (NSQC) vide Notification No. 8/6/2013-Investment dated 27th December 2013 issued by the Ministry of Finance (Department of Economic Affairs), Government of India on National Skill Qualification Framework (NSQF) and based upon the recommendations of Committee on Assessment and Certification Bodies (CACB) constituted vide its Office Order No. Office Order No. 43001/02/2013/NSDA/III(Pt.3)/953 dated 25th October 2018 for the purpose of assessing the capacity and capabilities of Skill Universities, the Centurion University of Technology and Management, (CUTM) Gajapati, Odisha is hereby approved and recognised as an Awarding Body, from the date of issue of this Notification, for the purpose of assessment and certification of all NSQF compliant training courses including Recognition of Prior Learning (RPL) as well as for trainers and assessor certification courses. Assessment and Certifications shall be done in accordance with approved norms and standards as prescribed for a particular NSQF compliant scheme or schemes being implemented within India.

2. Opening of new off campus Centres (Non-franchise) by CUTM would need to be reported to the appropriate Competent Authority while prior approval would be required to be taken in case of opening of any franchise centres.

SUNITA SANGHI, Director General

National Skill Development Agency &
Member-Secretary, NSQC

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

ALOK KUMAR
Digitally signed by ALOK KUMAR
Date: 2018.12.11 11:37:08 +05'30'